न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

सं. 139/16
सीएमएस : 2016/00524

1. बलकरण सिंह पुत्र श्री कपूर सिंह जाति जटसिख निवासी म.नं. आर–3, रिद्धी–सिद्धी एनक्लेव–2, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)। –ःवादी

बनाम

1. कश्मीर सिंह पुत्र श्री सुरजन सिंह जाति रायसिख निवासी 12 एन.आर.डी (बिशनपुरा) तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)।
2. जमनाबाई पत्नी श्री पूर्ण सिंह जाति रायसिख निवासीयान 12 एन.आर.डी (बिशनपुरा) तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरजन सिंह जाति रायसिख निवासी 12 एन.आर.डी (बिशनपुरा) तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)।
4. वीरकौर पत्नी श्री सुरजन सिंह जाति रायसिख निवासीयान 12 एन.आर.डी (बिशनपुरा) तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व),रायसिंहनगर। –ःप्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू.07.06.2024

उपस्थित अधिवक्तागण
1. श्री गुरप्रताप सिंहअधि. वादी।
2. एकपक्षीय कार्यवाही प्रति. सं. 1 ता 4।

–ः **निर्णय** ः– दिनांक : 25.03.2026

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मुताबिक जमाबन्दी सं0 2075–2078 वाके चक 12 एन.आर.डी. तहसील रायसिंहनगर के सयुक्त खाता संख्या 70 में पत्थर नंबर 113/316 मुरब्बा नंबर 19 के किला नंबर 1/2 ता 25 की कुल खाता योग 6.200 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि वादी का 253/1550 हिस्सा यानि 1.012 है0 एवं प्रतिवादीगण कश्मीर सिंह का 939/6200 हिस्सा, जमनाबाई का 79/775 हिस्सा, महेन्द्र सिंह का 323/775 हिस्सा व वीर कौर का 1033/6200 हिस्सा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है। विवादित रकबा का पक्षकारान के मध्य संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं रहने एवं लगान कर आदि की अदायगी को लेकर वा अन्य छोटी–छोटी बातों को लेकर हमेशा झगड़े वा विवाद का भय बने रहने एवं भूमि में अपनी सुविधानुसार डिग्गी निर्माण, विद्युत कनेक्शन, सौर उर्जा लेने हेतु आवश्यक कार्यवाही वा अनुदान वगैरा प्राप्त करने, बैंक वा अन्य वित्तीय संस्थाओं से अनुदान–किसान केडिट कार्ड–यादि लेने में दिक्कते आने एंव भूमि का समूचित सुधार व उत्पादन वृद्धि में रूकावट आने आदि समस्त हालात एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये कुछ अरसा पूर्व काश्त, रास्ता, भूमि की किस्म एवं भूमि एकजोई कर काश्त को मध्यनजर रखते अपने–अपने भाग अनुसार घरेलू तोर से बाहमी बंटवारा निम्न प्रकार से कर रखा है वादी बलकरण सिंह को उसके भाग 1.012 है0 अनुसार वाके चक 12 एन.आर.डी. तहसील रायसिंहनगर के पत्थर नंबर 113/316 मुरब्बा नंबर 19 के किला नंबर 1/2 की 0.228है0, 2 [illegible] है0, 3 की 0.025है0 पश्चिमी पासा किला नंबर 2 से चिपते, 8 की 0.025 [illegible] पश्चिमी पासा किला नंबर 9 से चिपते, 9 की 0.253है0 व 10/2 की 0.228है0 कुल [illegible] है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का कब्जा काश्त प्राप्त हुआ, जिस पर तब से आज तक वादी निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है और जिसे अपनी मेहनत से काफी भारी राशि खर्च कर वा शारीरिक मेहनत लगाकर सुधारा व विकसित किया है। शेष रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:42:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण को उनके भाग अनुसार प्राप्त होकर उनके कब्जा काश्त में चला आ रहा है। वादी खातेदार टिनेन्ट होने से घरेलू बाहमी बंटवारा व कब्जा काश्त अनुसार विधिक बंटवारा करवा अपना खाता सहखातेदारान से अलग करवा राजस्व अभिलेखो में अमलदरामद करवा पाने का विधिक अधिकारी होने से वादी प्रतिवादीगण से अनुरोध करता रहा कि वे विवादित रकबा का घरेलू बाहमी बंटवारा या कब्जा काश्त अनुसार विधिक विभाजन करवा खाता विभाजन करवाने की अपेक्षित कार्यवाही में सहयोग देवे तो वे प्रथमतः टालमटोल पश्चात अंततः दिनांक 02–06–2024 को बमुकाम बिशनपुरा तहसील रायसिंहनगर में प्रतिवादीगण सं० 1 त्ता 4 ने कहा कि उन्हें जरूरत नहीं है आपको है तो करवा लों, यही तारीख पैदा होने बिनाये दावा बिनाये मुखास्मत है। वादी के समक्ष वांछित अनुतोष प्राप्ति के लिये वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा शेष नहीं रहा है। प्रतिवादी सं० 5 भू–धारक होने से आवश्यक पक्षकार मुकदमा होने से उसे पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार वा श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अंदर मियाद पेश है अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नप्रकार से डिकी सादिर फरमाया जायें–कि वाके चक 12 एन.आर.डी. तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 70 में पत्थर नंबर 113/316 मुरब्बा नंबर 19 के किला नंबर 1/2 ता 25 की कुल खाता योग 6.200 है० कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का वादी एंव प्रतिवादीगण के भाग अनुसार उनके मध्य हुये घरेलू बाहमी बंटवारा, जो वाद की मद नं0 3 की उपमद (क) व (ख) में दर्ज है, अनुसार चले आ रहे कब्जा काश्त को स्वीकार करते हुये विधिक बंटवारा व खाता विभाजन की डिकी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण पारित की जायें। मुताबिक डिकी बंटवारा व खाता विभाजन लगान कर अलग–अलग मुकर्र करने वा राजस्व अभिलेखो में तदनुसार अमलदरामद करने के आदेश दिये जावें। अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी को दिलाना मुनासिब समझे वे भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलाये जायें, खर्चा मुकदमा भी दिलाया जावें।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. सं. 1 ता 4 स्वयं व उनकी तरफ से किसी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि वाके चक 12 एन.आर.डी. तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 70 में पत्थर नंबर 113/316 मुरब्बा नंबर 19 के किला नंबर 1/2 ता 25 की कुल खाता योग 6.200 है० कमाण्ड नहरी खातेदारी भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग–अलग किया जावे। तहसीलदार रायसिंहनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा इस न्यायालय के पत्र क्रमांकः रीडर/2025/1049 दिनांक 24.07.2025 के संदर्भ में [illegible] पत्र क्रमांकः भू.–अ./2025/5700 दिनांक 25.09.2025 द्वारा चक 12 एन.आर.डी. तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 70 में पत्थर नंबर 113/316 मुरब्बा नंबर 19 के किला नंबर 1/2 ता 25 की कुल खाता योग 6.200 है० कमाण्ड नहरी खातेदारी भूमि का विभाजन प्रस्ताव मौका रिपार्ट, नजरिया नक्शा मय जमाबंदी निम्नानुसार प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:42:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

1. बलकरणसिंह पुत्र श्री कपूरसिंह जाति जटसिख चक 12 एन.आर.डी. के पत्थर नंबर 113/316 मुरब्बा नंबर 19 कि.नं. 1/2/0.228, 2/.253, 3/1/0.025, 8/2/0.025, 9/.253, 10/.228 कुल 1.012 है. कमाण्ड भूमि।
2. कश्मीर सिंह पुत्र सुरजनसिंह का 939 है. हिस्सा, जमनाबाई पत्नी पूर्णसिंह 632 है. हिस्सा, महेन्द्रसिंह पुत्र सुरजनसिंह 2584 है. हिस्सा, वीरकौर पत्नी सुरजनसिंह 1033 हिस्सा, जाति रायसिख साकिन बिशनपुरा खातेदार रहन बदस्तुर चक 12 एन.आर.डी. के पत्थर नंबर 113/316 मुरब्बा नंबर 19 कि.नं. 3/2/.228 है., 4 ता 7/1.012 है., 8/1/.228, 11/2 ता 25 में कुल 3.720 है. कुल 5.188 है. कमाण्ड भूमि।

बहस एकपक्षीय अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादिया का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पंत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आश्य की जारी की जाती है कि चक 12 एन.आर.डी. तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 70 में पत्थर नंबर 113/316 मुरब्बा नंबर 19 के किला नंबर 1/2 ता 25 की कुल खाता योग 6.200 है० कमाण्ड नहरी भूमि में से वादी के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

1. बलकरणसिंह पुत्र श्री कपूरसिंह जाति जटसिख चक 12 एन.आर.डी. के पत्थर नंबर 113/316 मुरब्बा नंबर 19 कि.नं. 1/2/0.228, 2/.253, 3/1/0.025, 8/2/0.025, 9/.253, 10/2/.228 कुल 1.012 है. कमाण्ड भूमि।
2. कश्मीर सिंह पुत्र सुरजनसिंह का 939 है. हिस्सा, जमनाबाई पत्नी पूर्णसिंह 632 है. हिस्सा, महेन्द्रसिंह पुत्र सुरजनसिंह 2584 है. हिस्सा, वीरकौर पत्नी सुरजनसिंह 1033 हिस्सा जाति रायसिख साकिन बिशनपुरा खातेदार रहन बदस्तुर चक 12 एन.आर.डी. के पत्थर नंबर 113/316 मुरब्बा नंबर 19 कि.नं. 3/2/.228 है., 4 ता 7/1.012 है., 8/1/.228, 11/2 ता 25 में कुल 3.720 है. कुल 5.188 है. कमाण्ड भूमि। रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:42:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner